

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर



क्रमांक :- प्र०(१) कार्मिक / निजी. विकि० / ३१/२०१७ / ५६८

दिनांक:- ८/८/१७

—:: कार्यालय—आदेश ::—

राजस्थान आवासन मण्डल के संचालक गण्डल की २३४वीं बैठक के निर्णय विन्दु संख्या २३४.३ की अनुपालना में राजस्थान हाऊरिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम १९७० के अन्तर्गत हाऊरिंग बोर्ड कार्मिकों की चिकित्सा सुविधाओं में विरतार करते हुये निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है :—

क्र. सं.	चिकित्सालय का नाम व पता	मण्डल कार्मिकों को देय छूट	अन्य विवरण
१.	योगाश्रय सेवायतन (नैचुरोपैथी एवं योग मेडिटेशन सेंटर), केशोपुरा, भांकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर-२६, ९७७२९-४७५५५, ९७७२९-५६५५५	—	कार्मिकों द्वारा आउटडोर सुविधा तथा इनडोर हेतु अकोमोडेशन प्लान सहाजानन्दा (जनरल वार्ड) में चिकित्सा सुविधा प्राप्त की जा सकेगी।
२.	मेडीपल्स हॉस्पिटल, वासनी फेज-२, जोधपुर-३४२००५ ०२९१-२७४०७४०, २७४१७४१, ८२३९९९९२९४	चिकित्सालय दरों पर 10% On OPD/Investigations/ IPD Procedures (Except pharmacy and consumable) & 5% On IPD Packages	“”

उक्त आदेश सक्षम रत्तर से अनुमोदित हैं।

मंगलवार
(विश्व मोहन शर्मा)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निजी सचिव—अध्यक्ष / आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता—मु. / १/ा, रा०आ०म०, जयपुर।
- निजी सचिव—सचिव / वि०स० एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा०आ०मण्डल, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता— प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा०आ०मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
- निदेशक विधि/अति. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य संपदा प्रबंधक/उप सचिव/वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक/संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) रा०आ०मण्डल, जयपुर।
- रामरत उप आवासन आयुक्त वृत्—...../आवासीय अभियन्ता, मण्ड—.....।
- समरत प्रकोष्ठ मुख्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- लेखाधिकारी (भुगतान/पेंशन)/एसीआर/गोपनीय प्रकोष्ठ, रा०आ०मण्डल, जयपुर।
- संबंधित चिकित्सालय—.....
- नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

Ashu
वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक